न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 157/2022 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.खुमाराम 2.डालूराम3.देराज उर्फ देवु 4.रायचन्द पि.गंगाराम
जाति जाट, निवासी देवाणियों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.हडुमानराम पुत्र मगाराम, जाति जाट
जाति जाट, निवासी देवाणियों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
2.तहसीलदार चौहटन
3.शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी.चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया

वकील विप्रार्थीगण :– श्री प्रवीण चौधरी (विप्रार्थी सं. 1)

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

प्रार्थीगण खुमाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी देवाणियों का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा देवाणियों का तला (कापराऊ), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 458/343 रकबा 05.7465 हैक्टयर का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं [illegible] प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी सं. 1 के [illegible] खसरा सं. 552/343 में से चल कर सडक मार्ग तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस/रजि नोटिस से तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 वकील ने जवाब मय विशेष आपत्तियां पेश की । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट पर विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति प्रार्थीगण वकील को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पर सीधे ही बहस करना चाहते है। अतः उपस्थित अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने पर बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र के वकील विप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता प्राप्त करने के लिए जो आवेदन पेश किया गया है जिसमें विप्रार्थी सं. 1 के खेत से रास्ता चाहा गया है, परन्तु प्रार्थीगण का एक ओर खेत खसरा सं. 440/338 मौजा देवाणियों का तला में अवस्थित है जो कोनरा डामर सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण की ढाणियां बनी हुई है तथा प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा सं. 458/343 से खसरा सं. 440/338 में जाने हेतु कम दूरी का वैक्लपितक रास्ता खसरा सं. 450/339, 453/340 से उपलब्ध है । इसलिए कम दूरी के विकल्प को ध्यान में रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित होगा , अतः विप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वैक्लपिक रास्ता अनुसार मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे।

प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह सही है उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं वैक्लपिक रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए विप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कम दूरी का अन्य वैक्लपिक रास्ता उपलब्ध होने का कथन निराधार एवं मनगढत है। विप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा जो वैक्लपित रास्ता बताया जा रहा है वो प्रार्थीगण के लिए उचित नहीं है चूंकि प्रार्थीगण बाखासर रोड़ पर पूर्व दिशा के खेत में निवास करते है। इसलिए विप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का खारीज किया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा पेश जवाब मय विशेष आपतियां एवं वैक्लपिक रास्ता का अवलोकन किया गया तथा विप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश वैक्लपिक रास्ता के संबंध प्रार्थीगण वकील द्वारा पेश नक्शा (परिशिष्ट) का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा जो वैक्लपित रास्ता सुझाया गया है उसके लिए प्रार्थीगण को लम्बी दूरी तय करनी होगी , चूंकि प्रार्थीगण बाखासर रोड़ पर पूर्व दिशा में निवास करते है, इसलिए न्यायालय के मतानुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल सबसे निकटतम एवं उचित रास्ता प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रश प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज किया गया।

पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता श्री पूराराम चौधरी उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण ने मूल आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके अधिवक्ता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे आज श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और उनकी ओर से मैं ब्रिफ होल्डर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, अतः निवेदन है कि बहस के लिए अवसर दिया जाकर एक छोटी पेशी तारीख दी जावे।

इस पर प्रार्थीगण वकील ने आपति करते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता आज सुबह यही पर थे और आवेदन को लम्बित करने के उद्देश्य से श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता बहस नहीं करना चाहते है तो उनकी एकतरफा बहस सुनी जाकर आवेदन का निस्तारण किया जावे।

न्यायहित में प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उसकी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	552/343	05. 8275	बा.दो.	15 फीट	0.16 बी [illegible]	देवाणियों का तला	हड्डुमानराम पुत्र मगाराम, जाति जाट, सा.देवाणियों का तला

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बिन्दु C से D लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल बिन्दु C से D 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल बिन्दु C से D दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रच[illegible] निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग [illegible] जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट [illegible] वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 15 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 03.04.2024 को दिया जाता है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested